HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 7th November, 2013

No. CCP(NCR)/JH/CA/ 2013/2589.- Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities, industrial, commercial, institutional or recreational estates/activities and uses subservient to the above;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of Controlled Area along Rohtak-Jhajjar-Rewari road (National Highway Number 352) Part-II Jhajjar district to be read with Drawing number DTP(JH) 424/12 dated 08.05.2012.

North: Starting from point 'A' i.e. the north-west corner of rectangle number 86 of village Dhighal (Hadbast Number. 2,5 & 11), thence moving towards east along Rohtak district boundary up to point 'B' which is the north-east corner of rectangle number 87 of village Dhighal.

East: Thence from point 'B' towards south along the eastern boundary of rectangle number 87, 111 & 127 of village Dhighal , thence towards east along northern boundary of rectangle number 150 of village Dhighal up to north east corner of rectangle number 150, thence towards south along eastern boundary of rectangle number 150,171,194,215,232 up to village Phirni of village Dhighal , thence towards east along village Phirni up to north-east corner of rectangle number 271 of village Dhighal , thence towards south along eastern boundary of rectangle number 271, 279,282,296,298,314 of village Dhighal , rectangle number 30 & 43 of village Lakadia (Hadbast Number 6), rectangle number 315 & 335 of village Dhighal , rectangle number 46,58,61 &67 of village Lakadia and thence along the western boundary of Rohtak-Jhajjar- Rewari- Railway line up to point 'C' which is the meeting point of western boundary railway line and revenue boundary of village Madana Kalan (Hadbast Number 10) in the rectangle number 82 of village Madana Kalan.

South: Thence from point 'C' moving towards south-west along south-east boundary of rectangle number 82 of village Madana Kalan up to the point where it meets the already notified Controlled Area boundary vide notification number CCP (NCR)/JH/ACA/CA/2010/1141 dated 31.03.2010, thence towards north-west along the already notified Controlled Area boundary vide notification number CCP (NCR)/JH/ACA/CA/2010/1141 dated 31.03.2010 up to point 'D' which is the south-west corner of rectangle number 83 of village Seria (Hadbast Number 9).

West: Thence from the point 'D' towards north along western boundary of rectangle number 83,75,72,62,57,46,39,27,20 & 7 of village Seria , rectangle number 73,46,41 & 17 of village Gochhi (Hadbast Number 8) , rectangle number 51, 38, 35 of village Lakadia , rectangle number112 & 93 of village Dadlan (Hadbast Number 7) up to north west corner of rectangle number 93 of village Dadlan, thence towards west along southern boundary of rectangle number 90 of village Dadlan up to south west corner of rectangle number 90 of village Dadlan, thence towards north along western boundary of rectangle number 90,75 of village Dadlan up to village Abadi of Dadlan, thence along western boundary of village Abadi of Dadlan, thence along western boundary of rectangle number 69,55,47,34,27 & 14 of village Dadlan up to north-west corner of rectangle number 14 of village Dadalan, thence towards south west along revenue boundary of village Dhighal up to middle west corner of rectangle number 237 of village Dhighal thence towards north along western boundary of rectangle number 237 & 210 of village Dhighal up to north west corner of rectangle number 210 of village Dhighal, thence towards west along southern boundary of rectangle number 200 of village Dhighal up to the south west corner of rectangle number 200 of village Dhighal, thence towards north along western boundary of rectangle number 200,165,156,122,116 & 86 of village Dhighal up to point 'A' i.e. the point of start.

> T.C Gupta, Principal Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 नवम्बर, 2013

संख्या सी सी पी (एन सी आर)/जे एच/सी ए/2013/2589.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र भवन गतिविधियों औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या मनोरंजनात्मक सम्पदाओं/गतिविधियों तथा उपरोक्त के सहायक उपयोग के लिए संभाव्य है:

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते है, अर्थात:—

अनुसूची

जिला झज्जर में रोहतक—झज्जर—रेवाड़ी सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352) भाग—II के साथ—साथ नियंत्रित क्षेत्र की सीमा की अनुसूची को ड्राईग संख्या डी० टी० पी० (जेएच) 424 / 12, दिनांक 08 मई, 2012 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तरः बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करके जो कि गाँव डीधल (हदबस्त संख्या 2, 5 तथा 11) की आयत संख्या 86 का उत्तर— पश्चिम कोना है, तत्पश्चात पूर्व की ओर रोहतक जिला की सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक, जो कि गाँव डीधल की आयत संख्या 87 का उत्तर—पूर्वी कोना है।

पूर्वः तत्पश्चात बिन्दु 'बी' से चलकर दक्षिण की ओर गांव डीघल की आयत संख्या 87, 111 और पूर्वी 127 की सीमा तक, तत्पश्चात पूर्व की ओर गांव डीघल की आयत संख्या 150 की उत्तरी सीमा के साथ—साथ आयत संख्या 150 के उत्तर—पूर्वी कोने तक, तत्पश्चात दक्षिण की ओर गांव डीघल की आयत संख्या 150, 171, 194, 215 तथा 232 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ गांव डीघल की फिरनी तक, तत्पश्चात पूर्व की ओर गांव डीघल की फिरनी के साथ—साथ गांव डीघल की आयत संख्या 271 के उत्तर—पूर्वी कोने तक, तत्पश्चात दक्षिण की ओर गांव डीघल की आयत संख्या 271, 279, 282, 296, 298 और 314 की पूर्वी सीमा के साथ—साथ, गांव लकड़िया (हदबस्त संख्या 6) की आयत संख्या 30 तथा 43, गांव डीघल की आयत संख्या 315 और 335, गांव लकडिया की आयत संख्या 46, 58, 61 तथा 67, की पूर्वी सीमा के साथ—साथ तथा तत्पश्चात रोहतक—झज्जर रेवाड़ी रेलवे लाइन की पश्चिमी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक, जो कि गांव मदाना कलां की आयत संख्या 82 के अन्दर रेलवे लाइन की पश्चिमी सीमा तथा गांव मदाना कलां (हदबस्त संख्या 10) की राजस्व सीमा का मिलान बिन्दु है।

दक्षिणः तत्पश्चात बिन्दु 'सी' से प्रारम्भ करके दक्षिण—पश्चिम की ओर गांव मदाना कलां की आयत संख्या 82 की दक्षिणी—पूर्वी सीमा के साथ—साथ उस बिन्दु तक जहां यह पहले से ही अधिसूचना संख्या सी सी पी (एन सी आर)/जे एच/ए सी ए/सी ए/2010/1141 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र सीमा को मिलती है । तत्पश्चात उत्तर—पश्चिम की ओर पहले से ही अधिसूचना संख्या सी सी पी (एन सी आर)/जे एच/ए सी ए/सी ए/2010/1141 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्र सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव सेरिया (हदबस्त संख्या 9) की आयत संख्या 83 का दक्षिण—पश्चिम कोना है ।

तित्पश्चात बिन्दु 'डी' से प्रारम्भ करके उत्तर की ओर गांव सेरिया की आयत संख्या 83, 75, 72, 62, 57, 46, 39, 27, 20 तथा 7, गांव गोच्छी (हदबस्त संख्या 8) की आयत संख्या 73, 46, 41 तथा 17, गांव लकिंडिया की आयत संख्या 51, 38 तथा 35, गांव दादलान (हदबस्त संख्या 7) की आयत संख्या 112 तथा 93 की पिश्चिमी सीमा के साथ—साथ गांव दादलान की आयत संख्या 90 की दक्षिण सीमा के साथ—साथ गांव दादलान की आयत संख्या 90 के दिक्षण—पिश्चिमी कोने तक, तत्पश्चात उत्तर की ओर गांव दादलान की आयत संख्या 90 तथा 75 की पिश्चिमी सीमा के साथ—साथ गांव दादलान की आबादी तक, तत्पश्चात गांव दादलान की पिश्चिमी आबादी सीमा के साथ—साथ, तत्पश्चात गांव दादलान की आयत संख्या 69, 55, 47, 34, 27 तथा 14 की पिश्चिमी सीमा के साथ—साथ गांव दादलान की आयत संख्या 69, 55, 47, 34, 27 तथा 14 की पिश्चिमी सीमा के साथ—साथ गांव दादलान की आयत संख्या 14 के उत्तर—पिश्चिम कोने तक, तत्पश्चात दिक्षण पिश्चिम की ओर गांव डीधल की राजस्व सीमा के साथ—साथ गांव डीधल की आयत संख्या 237 तथा 210 की पिश्चिमी सीमा के साथ—साथ गांव डीधल की आयत संख्या 237 तथा 14 की आयत संख्या 230 की पिश्चिमी सीमा के साथ—साथ गांव डीधल की आयत संख्या 200 के दिक्षण—पिश्चिमी कोने तक, तत्पश्चात उत्तर की ओर गांव डीधल की आयत संख्या 200, 165, 156, 122, 116 तथा 86 की पिश्चमी सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भ बिन्दु है।

टी. सी. गुप्ता, प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।